डिजाइन नवाचार केन्द्र, मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क की स्थापना हेतु राष्ट्रीय पहल के लिए दिशा निर्देश

डिजाइन केन्द्रित नवाचार एक ऐसा उत्प्रेरक है जो देश को मूल्य श्रृंखला में ऊपर जाने में मदद करता है और भारतीय उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है। इस संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बारहवीं योजना में डिजाइन नवाचार हेतु राष्ट्रीय पहल का प्रस्ताव रखा है। इस पहल के अंतर्गत 20 नए डिजाइन नवाचार केन्द्र (डीआईसी), एक मुक्त डिजाइन स्कूल (ओडीएस) और राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क (एनडीआईएन), जो इन सभी स्कूलों को जोड़ेगा, की स्थापना की जाएगी। ओडीएस विभिन्न सहयोगी शिक्षा कार्यक्रमों (शैक्षिक संस्थाओं के विस्तृत स्पेकट्रम को जोड़ना) और इंटरनेट के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम निःशुल्क शेयर करके देश में डिजाइन शिक्षा और प्रैक्टिस की अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करेगा। एनडीआईएन डिजाइन स्कूलों का ऐसा नेटवर्क होगा जो डिजाइन शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि के लिए उद्योग और शिक्षा, एनजीओ और सरकार के साथ-साथ सभी सेक्टरों में डिजाइन नवाचार को प्रोत्साहित करने और संस्थाओं के मध्य विस्तृत सहयोगी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए साथ मिलकर कार्य करेगा। ओडीएस और एनडीआईएन बड़े पैमाने पर शैक्षिक संस्थाओं में फैब्रिकेशन प्रयोगशालाओं और डिजिटल मीडिया जोन के सृजन सहित विभिन्न पहल के माध्यम से देश में डिजाइन शिक्षा और नवाचार का स्तर भी बढ़ाएंगे।

2. उद्देश्य और लक्ष्य

डिजाइन नवाचार केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य निम्नलिखित है :

- नवाचार और सृजनात्मक हल ढूंढने की संस्कृति को प्रोत्साहन।
- उद्योग, शिक्षाविदों, सरकारी संस्थाओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं आदि के मध्य ज्ञान शेयरिंग और सहयोग को प्रोत्साहन।
- इन-हाऊस सुविधाओं का उपयोग करके परिसर में औद्योगिक सहयोगियों के नए उत्पाद विकास को प्रोत्साहित करने के स्थल के रूप में कार्य करना।
- ऐसा स्थान बनना जहां परियोजनाओं के माध्यम से डिजाइन आधारित शिक्षा प्रदान की जाए और प्रणालीबद्ध डिजाइन की प्रैक्टिस की जाए।
- अंतर-विषयक डिजाइन केन्द्रित नवाचार और सृजन को बढ़ावा देना।
- शिक्षा और उद्योग के मध्य व्यावसायिक अवसर सृजित करने और भागीदारी कायम करने के लिए अंतर-विषयक डिजाइन केन्द्रित शिक्षा, अनुसंधान और औद्योगिक कार्यकलापों की सुविधा प्रदान करना।

- देश में डिजाइन और नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित, पोषित और प्रसारित करना जिससेमानव जीवन की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण योगदान और नई खोजों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- छात्रों और संकाय के लिए नवीन विचारों को कक्षाओं/प्रयोगशालाओं से बाजार/लोगों तक पहुंचाने के लिए वातावरण तैयार करना।
- शिक्षा-उद्योग के साथ-साथ शिक्षा-सामाजिक विचारों के नए मॉडल बनाने और प्रकरणात्मक क्षेत्रों में नवाचार हेतु संस्थागत नेटवर्क विकसित करने की सुविधा प्रदान करना।
- ऐसे नवाचारों को प्रोत्साहित करना जो समावेशी हों।
- डिजाइन और नवाचार के क्षेत्रों में ऐसे अग्रणी कार्यक्रम बनाना जिन्हें हमारे देश में अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों में दोहराया जा सके।
- नवाचार को विषय के रूप में देखने सहित प्रसंस्करण से उत्पाद तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में नवाचार के सभी रूपों को प्रोत्साहित करना।
- डिजाइन और नवाचार के क्षेत्रों में कार्य करने वाले विश्व के संस्थानों/संगठनों, विश्व-व्यापी कार्यस्थलों से विचार-विमर्श/सहयोग को प्रोत्साहित करना।

3. योजना के घटक

(क) डिजाइन नवाचार केन्द्र (डीआईसी) -योजना के अंतर्गत 20 डीआईसी की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जो निम्नानुसार है :-

क. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान वर्तमान छ:(6) डिजाइन शिक्षा विभागों/स्कूलों को सहायता प्रदान की जाएगी।

ख. वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक चौदह (14) नए डिजाइन नवाचार केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

(ख) मुक्त डिजाइन स्कूल-वर्चुअल मोड में इंटरनेट के माध्यम से मुक्त डिजाइन स्कूल अपनी पाठ्यचर्या की नि:शुल्क शेयरिंग के जरिए देश में डिजाइन शिक्षा और पद्धतितक अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करेगा।

(ग) राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क (एनडीआईएन) -डिजाइन शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि के लिए उद्योग और शिक्षा, एनजीओ और सरकार की अन्य प्रमुख संस्थाओं के साथ कार्य करने वाले डिजाइन स्कूलोंका नेटकर्व होगा।एनडीआईएनको भविष्य में राष्ट्रीय ज्ञाननेटवर्क (एनकेएच)के साथ जोड़ा जाएगा।

4. चयन प्रक्रिया

4.1 डीआईसी के चयन के लिये प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

I. इन डीआईसी को मौजूदा संसाधनों और भूमि का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों जैसे सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में बसा कर स्थापित किया जाएगा ।

II. डीआईसी फील्ड स्तर पर संस्थानों की क्षमता का लाभ उठा कर और तालमेल बैठा कर 'हब और स्पोक" मॉडल अपनाएंगे और अग्रणी संस्थान परामर्शक की भूमिका निभाएगा ।

III. इन संस्थानों के 3 उप-केंद्र होंगे । मेजबान संस्थानों को उनके प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किया जाएगा और हर एक डिजाइन नवाचार केंद्र को मौजूदा डिजाइन संस्थान/स्कूल द्वारा परामर्श दिया जाएगा ।

IV. पूरे देश को कवर करने के लिये भौगोलिक विस्तार के आधार पर इन संस्थानों की पहचान की जाएगी और उम्मीद है कि इनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर मुक्त कलाओं तक को कवर किया जाएगा । उन संस्थानों, जहां डीआईसी स्थापित किये जाएंगे, की सूची अनुबंध- I पर दी गयी है ।

V. डीआईसी उत्पाद डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन, प्रसंस्करण डिजाइन अथवा सिस्टम डिजाइन को समाज की आवश्यकताओं से जोड़ कर इनको अपना केंद्र बिंदु बना सकते हैं ।

VI. इन केंद्रो से आशा की जाती है कि ये अवर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर कम-से-कम छह पाठ्यक्रम चलाएंगे और प्रत्येक पाठ्यक्रम में लगभग 40 छात्रों को दाखिला देंगे । संरचना, पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु, पाठ्यक्रम डिजाइन, शिक्षण तथा आउट-रीच के लिये प्रोटोकोल परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उपलब्ध कराने होंगे ।

VII. डीआईसी अपने कार्य के क्षेत्रो के आधार पर अन्य संस्थानों के साथ जुड़ने और सहभागी बनने के लिये स्वतंत्र होंगे ।

VIII. उम्मीद है कि डीआईसी छात्रों/फैकल्टी को आवश्यक वातावरण और अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध करा कर प्रयोगशालाओं के सफल प्रोटोटाइप को पूरी तरह से एक कारोबारी उद्यम बनाने में बीच की कड़ी सिद्ध होंगे ।

IX. उम्मीद है डीआईसी कुछ समय बाद आत्म-निर्भर बन जाएंगे ।

4.2 डीआईसी स्थापित करने के इच्छुक संस्थानों को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे । सचिव (उच्चतर शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) इन प्रस्तावों पर विचार करेगा । पीएबी प्रस्ताव की खूबियों की आधार पर निर्णय लेगा ।

5. वित्तीय सहायता

I. प्रत्येक डीआईसी को 12वीं योजना अवधि के दौरान 10 करोड़ रु. तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी । इसमें से, अनावर्ती अनुदान दो वर्ष की अवधि में जारी किया जाएगा । आवर्ती अनुदान तीन वर्ष तक वार्षिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा ।

II. डीईसी को उपलब्ध धनराशि का कम-से-कम एक तिहाई उप-केंद्रों/स्पोक्स के माध्यम से कार्यकलापों पर खर्च करना होगा ।

III. डीआईसी अपनी परियोजना आवश्यकताओं को देखते हुए बजट अनुमान बना सकते हैं । मदों की संकेतात्मक सूची अनुबंध-II पर दी गयी है।

IV. नये डिजाइन स्कूलों के मामले में, बजट अनुमानों में परामर्श लागत को भी शामिल किया जाए ।

6. लेखांकन प्रक्रिया

I. प्रत्येक डीआईसी केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदान के संबंध में अलग से लेखे रखेगा ।

II. भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक अथवा उसका नामिती अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन का जब चाहे किसी भी समय ऑडिट कर सकता है ।

III. अनुदान प्राप्त करने वाला संगठन चार्टर्ड अकाउंटेन्ट द्वारा लेखापरीक्षित विवरण भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें अनुमोदित परियोजना पर किया गया व्यय का ब्यौरा और पूर्ववर्ती वर्षों में सरकारी अनुदान के उपयोग का ब्यौरा दिया गया होगा । यदि उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया, तो अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन को भारत सरकार की

उस समय प्रचलित ब्याज दर पर ब्याज सहित अनुदान की पूरी राशि, यदि सरकार ने विशेष रूप से छूट नहीं दी है, तत्काल लौटाने की व्यवस्था करनी होगी ।

IV. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जब भी आवश्यक समझे, समिति नियुक्त करके अथवा सरकार द्वारा निर्णीत किसी अन्य तरीके से अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन का पुनरीक्षण कर सकती है ।

V. सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई गई ऐसी अन्य शर्तें संगठन पर लागू होंगी ।

अनुबंध-I

केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्थानों की सूची जहां डिजाईन इनोवेशन सेंटर स्थापित किये जा सकते हैं।

(1) आईआईटी बम्बई

(2) आईआईटी दिल्ली

(3) आईआईएससी बैंगलोर

(4) आईआईटी गुवाहाटी

(5) दिल्ली यूनिवर्सिटी

(6) महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा

(7) पुणे यूनिवर्सिटी

(8) जवाहरलाल नेहरू टेक्नॉलॉजिकल यूनिवर्सिटी, काकीनाडा

(9) मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी

(10) बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल

(11) जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता

(12) आईआईटी भुवनेश्वर

(13) पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़

(14) राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर

(15) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलॉग

(16) गुरू घासीदास यूनिवर्सिटी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

(17) बिहार यूनिवर्सिटी, पटना

(18) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी

(19) उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर

(20) सर जे.जे. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, मुंबई

(21) केरला सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी

(22) रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जबलपुर

अनुबंध-II

एक डिजाईन इनोवेशन सेंटर (डीआईसी) की निर्दिष्ट मूल लागत घटक की अनुमानित लागत

रुपये (करोड़ में)

1.	इनोवेशन कार्यक्रम, स्टूडेंट्स फेलोशिप एवं इंटर्नशिप	0.80
2.	इनोवेशन स्टूडियो हेतु फेबलैब इक्विपमेंट	1.00
3.	कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, मोक-अप मॉडल्स एंड फोटोटायपिंग व्यय	1.50
4.	विजिटिंग फैकल्टी हेतु स्टाफ वेतन एवं मानदेय	1.10
5.	यूजर ट्रायल्स हेतु टूलिंग लागत	0.70
6.	ट्रेवल एण्ड फील्ड ट्रायल संबंधित खर्च	0.50
7.	वर्कशॉप, ट्रेनिंग एवं आउटरीच	0.60
8.	हब एवं स्पोक मॉडल के अंतर्गत पार्टनर इंस्टीट्यूट में इनोवेशन नोड्स का निर्माण	3.80
	कुल	10.00